संख्या-22/2024/I/775533/2024-68-5099/361/2024

प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मेंए

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश /अध्यक्ष, बेसिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 21 अक्टूबर, 2024

विषयः दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवा निवृत्त होने वाले उ0प्र0 राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्त की तिथि (30 जून/ 31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:07/बे0शि0प0/ले0सं0/पेंशन/6469-70, दिनांक 23.09.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024 दिनांक 12 जून, 2024 में वर्णित प्रावधान के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों /शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर भी लागू करने हेतु निर्देश शीघ्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले उ0प्र0 राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्त की तिथि (30 जून/ 31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़े जाने के संबंध में आदेश निर्गत किये गये हैं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024 दिनांक 12 जून, 2024 में प्राविधानित व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर भी लागू किये जाने की एतदद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। कृपया उपरोक्तानुसार लाभ दिये जाने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने का कष्ट करें।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्य-सा-3-21/दस-2024, दिनांक 15.10.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, लखनऊ / मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।
8- वित्त नियंत्रकए बेसिक शिक्षा निदेशालयध्बेसिक शिक्षा परिषदए उ0प्र0 प्रयागराज।
9- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
10- समस्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
12. अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

इसी प्रकार पीडीएफ पाने के लिए मेरे नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लाल बॉक्स को क्लिक करके जुड़े

आज्ञा से,
आनन्द कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in